न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 336/2017 दायर दिनाँक 05.12.2017

वादी

1. गोरीशंकर पुत्र गोविन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. भगवतीसिंह पुत्र महावीरसिंह
2. अर्जुनसिंह पुत्र महावीरसिंह जातिगण राजपुत निवासीगण केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर
3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा केराप
4. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मो. अली शेरानी वकील वादी।
2. श्री इस्लामुदीन वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 ।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.09.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा शरहद केराप पटवार क्षेत्र केराप भ.अ.निरिक्षक केराप में स्थित खेत खसरा संख्या 510 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता महावीरसिंह व महावीरसिंह के भाईयों बजरंगसिंह, विकमसिंह के खातेदारी का था। उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता महावीरसिंह ने दिनांक 15.09.1995 को जरिये रजिस्टर्ड विकय–पत्र से वादी को 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बैचाण किया था तथा वादी को उक्त 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कब्जा बतौर स्वामी सम्भला दिया था तब से लेकर आज दिन तक उक्त 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जा बतौर स्वामी चला आ रहा है। उक्त खसरा संख्या 510 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से 7 बीघा 18 बीघा भूमि का गुमानमल पुत्र दौलाराम खातेदार दर्ज होकर गुमानमल की खातेदारी का नया खसरा संख्या 887/510 बना तथा खेत खसरा संख्या 510 में शेष भूमि 2 बीघा 10 बिस्वा दर्ज रही तथा इस खेत खसरा नम्बर 510 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम गलत दर्ज है। इसलिए यह वाद पत्र वास्ते घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

मौजा सरहद केराप में स्थित खेत खसरा नम्बर 510 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम खातेदारी से हटाकर उसकी जगह वादी के नाम की रजिस्टर्ड विकय पत्र के अनुसार खातेदारी की घोषणा की जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती किया जावे एवं स्थयी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादर फरमावें कि मौजा सरहद केराप में स्थित खेत खसरा संख्या 510 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का बैचाण, विनिमय, हस्तान्तरण, दान, बेदखली ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से ऐसा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:29 IST
Reason: SelfAttested

vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 4 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1, 2 के मध्य राजीनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा कर बताया कि खसरा संख्या 510 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वादी का खरीदशुदा है जिसका नामान्तकरण आज भी दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से प्रतिवादी का नाम इस खसरे से हटाकर वादी का नाम दर्ज करवाने से सहमत है। प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब पेश कर अपने जवाब में बताया कि भगवतीसिंह व अर्जुनसिंह पुत्र महावीरसिंह राजपुत निवासी केराप को उनकी कृषि भूमि खसरा संख्या 797, 781/679, 510 रकबा क्र 19.17, 30.0, 2.10 बीघा कुल रकबा 52.07 बीघा पर दिनांक 12.09.2014 को राशि 24,900/– की के0सी0सी0 ऋण स्वीकृत की गई है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। पक्षकारान वाद डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त करते है तथा अन्य किसी पक्षकारान द्वारा वाद का खण्डन नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मौजा सरहद केराप में स्थित खेत खसरा नम्बर 510 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम खातेदारी से हटाकर उसकी जगह वादी अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये राजीनामा सहमत है। अतः उक्त विवेचनों, प्रस्तुत राजीनामा व रेकर्ड के अवलोकन के आधार पर वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

मौजा शरहद केराप पटवार क्षेत्र केराप भ.अ.निरिक्षक केराप में स्थित खेत खसरा संख्या 510 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादी को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण हो जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 23.09.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:29
Reason: SelfAttested

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना